रजिस्टर्ड
अति-आवश्यक

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान।

क्रमांकः–डीसी/डी–2/महाराष्ट्र/2012/436 दिनांक 11/12/2012

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान ।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

अलर्ट नोटिस

विषयः– M/s Abbott India Limited, Plot K-1, Additional MIDC Area, Mahad-402302 (Mah.) के नाम से निर्मित एवं नकली घोषित Tab. DUPHASTON (Dydrogesterone Tablets B.P. 10 mg) के प्रकरण में कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

औषधि नियंत्रण संगठन (मुख्यालय) पर प्राप्त सूचना, कि M/s Abbott India Limited, Plot K-1, Additional MIDC Area, Mahad-402302 (Mah.) के द्वारा निर्मित Tab. DUPHASTON (Dydrogesterone Tablets B.P. 10 mg) का निर्माण हूबहू अन्य किसी के द्वारा किया जाकर इसे जयपुर में बेचा जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता भी संदिग्ध है अतः मुख्यालय से टीम गठित कर जांच करवाई गई एवं दवा विक्रेताओं के यहां से नमूने लेकर जांच हेतु भिजवाये गये। टेबलेट की एक स्ट्रिप मूल निर्माता को भेजकर वास्तविकता की जानकारी भी चाही गई। निम्नलिखित तीन औषधि विक्रेताओं के यहां से लिये गये उक्त दवा के Batch No. AEBR 4012 एवं AEBR 4015 के नमूने राजकीय विश्लेषक, ड्रग टैस्टिग लेबोरेट्री, राजस्थान, जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार नकली (Spurious) घोषित किये गये हैं, जिनमें मुख्य घटक की मात्रा एक प्रतिशत से भी कम पाई गई है। मूल निर्माता M/s Abbott India Limited ने सूचित किया है कि उक्त दवा उनके द्वारा निर्मित नहीं है, एंव नकली (Counterfeit) है।

1. मैसर्स श्री श्याम मेडीकोज, दूनी हाउस, फिल्म कालोनी, जयपुर।
2. मैसर्स नेशनल मेडीकल ऐजेन्सीज, बापू बाजार, जयपुर।
3. मैसर्स विलासराम मेडीकल्स, 223, वसुन्धरा कालोनी, गोपालपुरा बाईपास, टोंक रोड, जयपुर।

प्रकरण अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। विभाग द्वारा की गयी जांच अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उक्त प्रश्नगंत औषधि की राज्य में सप्लाई उदयपुर स्थित औषधि विक्रेता मैसर्स भैया मेडिकल स्टोर द्वारा की गई है, जिसकी पुष्टि उसके द्वारा जारी विभिन्न बिलों से हुई है। इस सम्बन्ध में उक्त तीनों औषधि विक्रेताओं सहित मैसर्स भैया मेडिकल स्टोर, उदयपुर के विरूद्ध पुलिस थाना माणकचौक, कोतवाली एवं बजाजनगर में दिनांक 10.12.2012 को तीन प्रथम सूचना रिपोटर्स दर्ज करवा दी गई है। पुलिस द्वारा भी उक्त प्रकरणों में गम्भीरता से जांच की जा रही है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्माता के नाम से अन्य किसी के द्वारा निर्मित Tab. DUPHASTON (Dydrogesterone Tablets B.P. 10 mg) के बाजार में उपलब्ध स्टॉक पर कडी निगरानी रखें एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लघन पाया जाने पर इसे जब्त करें व नियमानुसार उचित कार्यवाही कर जब्त किये गये स्टॉक की सूचना/विवरण सहित संगठन को सूचित करें।

Sd
औषधि नियंत्रक

क्रमांकः–डीसी/डी–2/महाराष्ट्र/2012/ 436 दिनांक 11/12/2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, सी.एच.ई.बी. केम्पस, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप औषधि नियंत्रक (भारत), सी.डी.एस.सी.ओ (नोर्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
4. निजी सचिव, मा0 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मिशन डायरेक्टर (NRHM) मुख्यालय।
6. प्रबन्ध निदेशक (RMSCL) मुख्यालय।
7. आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, 341, बान्द्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र राज्य।
8. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0, जयपुर।
9. निदेशक (जन स्वा./प.क./एड्स/एम.एस.यू./ई.एस.आई.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
14. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को विभागीय वेबसाईट www.rajswasthya.nic.in/Drug Control पर लगाये।
15. रक्षित पत्रावली ।

औषधि नियंत्रक

राज0 जयपुर